411
[15/3/2018]
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3430

# मध्य प्रदेश शासन
## आदिम जाति तथा अनुसूचति जाति कल्याण विभाग मंत्रालय
## ( राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति, जाति प्रमाण पत्र छानबीन, समिति )

**प्रकरण क्रमांक– 281/2009**

**आवेदक का नाम– श्री बालादीन अहिरवार**

**पता–शिक्षक,दृष्टिवाधितार्थ शा. दृष्टि एवं श्रवण वाधितार्थ उ0मा0 विद्यालय सागर मध्य प्रदेश ।**

**आदेश बैठक दिनांक 06 सितम्बर 2010**

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कु.माधुरी पाटिल बनाम एडिश्नल कमिश्नर, आदिवासी विकास ( महाराष्ट्र ) के सिविल अपील नम्बर 5854/94 में पारित निर्णय दिनांक 2.9.1994 ( ए.आई.आर. 1995) के अनुपालन में मध्य प्रदेश शास, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ए–7–1/96 आ.प्र./1.दिनांक 8 सितम्बर–1997 तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 4.12.1998 द्वारा राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के संदेहास्पद जाति पत्रों की जांच हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है:–

| | |
|---|---|
| 1. प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल। | अध्यक्ष |
| 2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास,भोपाल ( म0प्र0) | सदस्य सचिव |
| 3. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल हाल हैदराबाद ( आन्ध्राप्रदेश ) | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 4. संचालक,आदिम जाति अनुसंधान संस्था भोपाल ( म0प्र0) | सदस्य |
| 5. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, भोपाल,( म0प्र0 ) | सदस्य |

आयुक्त, आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/जा.प्र./समिमि /344/09/15178 दिनांक 17.7.2009 के साथ संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय के अर्द्ध शा. पत्र क्रमांक/स्था/12/75/2005/3708 दिनांक 27. 9.2005 के प्राप्त विवरण अनुसार श्री बालादीन अहिरवार पिता श्री गोरेलाल अहिरवार,

सहायक संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश

का चयन विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत शिक्षक,दृष्टिवाधितार्थ शा. दृष्टि एवं श्रवण **वाधितार्थ उ0मा0 विद्यालय सागर मध्य प्रदेश** के पद पर किया गया। प्रकरण के साथ उन्है जारी जाति प्रमाण–पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ। राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति ने पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ म0प्र. से जांच कराई। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ ने उनके पत्र क्रमांक जि0वि0शा0/टीकम0/सा0/09( 538 ) दिनांक **15/5/2009 से प्रेषित जांच प्रतिवेदन** एवं मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति अनुसंधान संस्थान द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की वैधता के परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में प्राप्त जानकारी दिनांक 13.4.2009 अनुसार श्री बालादीन अहिरवार द्वारा यह उल्लेख किया है कि उनके पिता 1950 की स्थिति में मूलतः ग्राम छिरौरा पोस्ट पंडवाहा जिला झॉसी उत्तर प्रदेश के **निवासी थे**। वर्तमान स्थान पलेरा जिला टीकमगढ़ में वर्ष 1984–85 निवासरत है। श्री बालादीन अहिरवार के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने की पुष्टी के आधार पर, उन्हे सन् 1950 की स्थिति में उनके परिवार व स्वयं के मध्य प्रदेश के निवासी होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहे। उन्होने समिति के समक्ष कथन भी दर्ज कराये कि 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने सम्बंधी अभिलेख उनके पास नहीं है।

**प्रकरण में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–** श्री बालादीन अहिरवार पिता श्री गोरेलाल अहिरवार ग्राम छिरौरा पोस्ट पंडवाहा जिला झॉसी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में सन् 1984–85 में आकर बसे थे तथा अभी ग्राम व पोस्ट पलेरा टीकमगढ़ में निवासरत नहीं है। श्री बालादीन अहिरवार, दिृष्टिवाधितार्थ शा. दृष्टि एवं श्रवण वाधितार्थ उ0मा0 विद्यालय सागर में शिक्षक, के पद पर कार्यरत है, जबकि 1950 की स्थिति में उनके पालक/पिता ग्राम छिरौरा पोस्ट पंडवाहा जिला झॉसी उत्तर प्रदेश थे। अतः राज्य छानबीन अनुसूचित जाति समिति ने निर्णय लिया है कि श्री बालादीन अहिरवार, **शिक्षक,दृष्टिवाधितार्थ शा. दृष्टि एवं श्रवण वाधितार्थ उ0मा0 विद्यालय सागर मध्य प्रदेश** द्वारा तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण–पत्र क्रमांक/बी. 121/921/97/93 दिनांक 26/05/1993 जारी अनुसूचित जाति का

सहायक संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश

जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है वह गलत है, तथा उन्हे मध्य प्रदेश मे अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित अर्हता नहीं आती है। अतः श्री बालादीन अहिरवार को जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त एवं राजसात कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेती है।

1. इस आदेश की प्रति नियुक्तिकर्ता अधिकारी आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा मध्य प्रदेश भोपाल को आंवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग( आरक्षण प्रकोष्ठ ) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. इस आदेश की प्रति कलेक्टर,टीकमगढ़ म.प्र. को आवश्यक कार्यवाही करने करने हेतु प्रेषित है।
5. इस आदेश की प्रति वष्ठि पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ म.प्र. को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।
6. इस आदेश की प्रति श्री बालादीन अहिरवार, शिक्षक,दृष्टिवाधितार्थ शा. दृष्टि एवं श्रवण वाधितार्थ उ0मा0 विद्यालय सागर मध्य प्रदेश को सूचनार्थ।

( डॉ देव राज बिरदी)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय छानबीन समिति
एवं
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति
कल्याण विभाग

( विश्वमोहन उपाध्याय )
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय छानबीन समिति
एवं
आयुक्त,
अनुसूचति जाति विकास
मध्य प्रदेश

( अजय जासू )
सदस्य,
राज्य स्तरीय छानबीन समिति
एवं
सचिव,
राज्य अनुसूचित जाति आयोग आदिम
मध्य प्रदेश

( डॉ जी.पी. पटेल )
सदस्य,
राज्य स्तरीय छानबीन समिति
एवं
संयुक्त संचालक
( प्रतिनिधि संचालक )
आदिम जाति अनुसंधान संस्थान
भोपाल एवं
राज्य स्तरीय छानबीन समिति
मध्य प्रदेश

सहायक संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
म०प्र०